

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेख विभाग,  
 प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,  
 amg1hqrs.mpl.au@cag.gov.in

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह प्रथम के अंतर्गत जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा दल क्रमांक-02 का दौरा कार्यक्रम

श्री संजय कृष्ण श्रीवास्तव	श्री सौरभ शर्मा	श्री गहुल पारीक	श्री रोशन वसन्त
य.ते.प.अ.	स.ते.प.अ.	स.ते.प.अ.	स.ते.प.अ.
क्र. स.	इकाई का नाम	कार्य दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: खंडवा		12.01.25
01	कार्यालय आयुक्त, नगर पालिका निगम, खंडवा	25	13.01.25 से 14.02.25
	प्रस्थान: मंडी, जिला खंडवा		15.02.25/16.02.25
02	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद मंडी, जिला खंडवा	09	17.02.25 से 28.02.25
	प्रस्थान: हरसूद, खंडवा		01.03.25/02.03.25
03	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद हरसूद, खंडवा	05/07	03.03.25 से 07.03.25
	प्रस्थान: ग्वालियर		08.03.25
	मुख्यालय पर प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति	04	10.03.25 से 13.03.25
	प्रस्थान: हरसूद, खंडवा		16.03.25
03	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद हरसूद, खंडवा	02/07	17.03.25 से 18.03.25
	प्रस्थान: ओम्कारेश्वर		18.03.25 रात्रि/ 19.03.25 प्रातः
04	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद ओम्कारेश्वर, खंडवा	08	19.03.25 से 28.03.25
	प्रस्थान: ग्वालियर		29.03.25

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अवकाश: जनवरी 2025- 11,12,18,19,25,26 फरवरी- 01,02,08,09,12,15,16,22,23,26 मार्च-  
01,02,08,09,14,15,16

- टीप: 1 इकाई से संबंधित शिक्नयत प्रकरण यदि कोई हो तो उसकी जाँच किया जाना सुनिश्चित करें ।  
2 दल के सदस्य प्रस्थान लेने से पूर्व Movement Register पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।  
3. संलग्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व में जारी निर्देशों का भी पालन करें ।  
4. जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा अवधि 2021-22 से 2023-24 तक (तीन वर्ष) की होगी।  
(प्राधिकार: महलेखाकार महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/मुख्यालय  
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह प्रथम

क्र/ एम जी- 1/दौरा कार्यक्रम/एस/टी/आर/ 937

दिनांक :- 03.01.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्नवाई हेतु प्रेषित :-

- 1.सचिवालय, उप महलेखाकार/ए एम जी-1 को सूचनार्थ ।
- 2.व.ले.प.अ./ए.पी.डी.ए.सी.
- 3.व ले प अ/ आई एस विंग वैंबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 4.व ले प अ / ए एम जी -1 (रिपोर्ट) , टी जी एस एवं स.ले.प.अ./डी.सी.ए. ।
- 5.समस्त दल के सदस्यों को अनुपालन हेतु ।